न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्वप्रार्थना—पत्र संख्या :— 31/2020

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1. फाउलाल पुत्र भानाराम 2. नारायणलाल पुत्र भानाराम जातिगण लवार निवासीगण गुड़ाश्यामा तहसील सोजत		1. सुआदेवी पत्नी बस्तीराम 2. राधेश्याम पुत्र बस्तीराम 3. कानाराम पुत्र बस्तीराम 4. दिनेश कुमार पुत्र बस्तीराम जातिगण लवार 5. महिपालसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपुत 6. रामचन्द्र पुत्र चुनाराम 7. ओमप्रकाश पुत्र चुनाराम 8. शिवलाल पुत्र चुनाराम 9. पिस्ता बाई पुत्री चुनाराम 10. कमला बाई पुत्री चुनाराम 11. मुली बाई पुत्री चुनाराम तमाम जातियान लवार निवासीगण गुड़ाश्यामा तह सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री सोहनलाल गौराणा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 05 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक — 22/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुड़ा श्यामा में प्रार्थीगण व चुना पुत्र किशना के नाम की खातेदारी व कब्जाकाश्त सुदा कृषि भूमि ख0नं0 41 रकबा 0.8300 है0, ख0नं0 42 रकबा 0.3600 है0, ख0नं0 48 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 56 रकबा 0.1800 है0, ख0नं0 57 रकबा 0.1700 है0 किस्म बा.अ., बा.दो. स्थित है। उक्त भूमि का पर्चा खतौनी संख्या 112 सेटलमेंट के समय फाउ, नारायण पिसरान भाना व चुना पुत्र किशना के नाम की जारी किया गया है। वक्त सेटलमेंट के समय सहायक भू.अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू—प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रार्थीगण फाउ, नारायण पिसरान भाना तथा चुना पुत्र किशना कौम लौहार ने हाजिर होकर जाहिर किया कि ख0नं0 41, 48 व 57 फाउ व नारायण के कब्जा काश्त में है तथा ख0नं0 42, 56 चुना पुत्र किशना के कब्जा में है। माफिक कब्जा काश्त अलग अलग खातेदारी दर्ज किया जावें, जिसकी तायद गांव के मुखियान करते हैं। हस्ब राजीनामा दुरूस्ती की जावें। जिस पर प्रार्थीगण फाउलाल, चुना व नारायणलाल ने अपने हस्ताक्षर किये तथा सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ाकलां, वार्डपंच कानसिंह व वार्डपंच सगतसिंह ने पर्चा खतौनी संख्या 112 के हस्ताक्षर व अगुठा किये, तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण फाउलाल, नारायण पिसरान भानाराम का आज दिन तक ख0नं0 41, 48 व 57 पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक एवं बाधा के निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 42 व

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

56 चुना पुत्र किशना के जीवनकाल में उनका तथा उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक बाधा के निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है व इसी अनुसार वक्त सेटलमेंट सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा बंटवाड़ा पर्चा खतौनी संख्या 112 पर इन्द्राज किया, जो पर्चा खतौनी संख्या 112 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों को माफिक बंटवाड़ा खसरा नंबर 41, 48 व 57 प्रार्थीगण फाउलाल व नारायण पिसरान भाना के नाम खातेदारी में इन्द्राज करना चाहिये था तथा ख0 नं0 42 व 56 चुना पुत्र किशना के नाम खातेदारी में इनद्राज करना चाहिये था तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व चुना पुत्र किशना व चुना के वारिसान का कब्जा काश्त आज दिन तक रहा है। लेकिन सेवन से उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा के अनुसार खातेदारी में दर्ज नहीं करने से उक्त आराजीयात कृषि भुमि खसरा नम्बर 41, 42, 56, व 57 प्रार्थीगण तथा चुना के वासिान की सामलाती खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जबकि खसरा नम्बर 42 व 56 पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा खसरा नम्बर 41, 48 व 57 पर चुना के जीवनकाल में उनका तथा उनके देहान्त के बादे चुना के वारिसान का कोई कब्जा काश्त नहीं है। राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों को पर्चा खतौनी संख्या 112 के बंटवाड़ा के अनुसार खातेदारी में दर्ज करना चाहिये था। चुना के देहान्त के बाद ढगली बेवा चुना व अन्य वारिसान के नाम तथा ढगली के देहान्त के बाद उसका हिस्सा उनके वारिसान सुआ पत्नी बस्तीराम, राधेश्याम, कानाराम, दिनेश कुमार पिसरान बस्तीराम, जीवाराम, सोहनलाल, रामचन्द्र ओमप्रकाश, शिवालाल पिसरान चुनाराम पिस्ताबाई, कमलाबाई, व मूली बाई पुत्रीयां चुनाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 287 दिनांक 05/03/2010 को उपरोक्त वादग्रस्त समपूर्ण कृषि भूमि में भरा जाकर स्वीकृत कर दिया गया। जीवाराम व सोहनलाल ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 41, 48, व 57 की भूमि पर बिना कब्जा काश्त होने के बावजूद खसरा नम्बर 41, 48, 57, 42, व 56 में अपना हिस्सा अप्रार्थी महिपालसिंह पुत्र नरपतसिंह को बेचान कर दिया तथा रामचन्द्र ने भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 41, 48, व 57 का विधि विरूद्ध बेचान कर दिया। महिपालसिंह को जीवाराम, सोहनलाल व रामचन्द्र द्वारा किये गये बेचान खसरा नम्बर 41, 48 व 57 विधि विरूद्ध होने से तथा सेटलमेंट के वक्त बंटवाड़े में भूमि नहीं आने के बावजूद व बिना कब्जा काश्त के बेचान करने से प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य है, क्योंकि महिपालसिंह का आज भी खसरा नम्बर 42 व 56 की भूमि पर काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 41, 48, व 57 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। पर्चा खतौनी संख्या 112 वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण फाउलाल, नारायण पिसरान भाना व चुना पुत्र किशना ने हाजिर होकर खसरा नंबर 41, 48 व 57 पर फाउ व नारायण तथा खसरा नम्बर 42 व 56 पर चुना पुत्र किशना काबिज काश्त होने से तथा उपरोक्त बंटवाड़े के अनुसार खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया व अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान गांव के मुख्यान के समक्ष व सक्षम अधिकारी के समक्षकिये, जिससे सभी पाबंद है व इसी अनुसार आज भी उक्त कृषि भूमि पर पक्षकारान काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थीगण को यह वाद बाबत् खातेदारी हकूक घोषित कराने खसरा नंबर 41, 48, व 57 की सम्पूर्ण भूमि तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक एवं लाजमी

उपखण्ड अधिकारी

हो गया है। क्योंकि खसरा नम्बर 41, 42, 48, 56 व 57 संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खातेदारी में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 41, 48 व 57 की कब्जे काश्त सुदा भूमि में दखल अन्दाजी करने की धमकी दिनांक 10/07/2020 को दी। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 41, 48 व 57 की भूमि के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी कर देंगे तो प्रार्थीगण को रूपयों में न आकी जा सकने वाली अपूर्णिय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णिय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं, क्योंकि पर्चा खतौनी संख्या 112 में प्रार्थीगण चुना पुत्र किशना ने स्वयं उपस्थित होकर जाहिर किया कि, खसरा नम्बर 41, 48 व 57 पर प्रार्थीगण का तथा खसरा नंबर 42 व 56 पर चुना पुत्र किशना का कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन कर अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ किये, जिससे पक्षकारान पांबद है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त वादस्थ भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त सुदा भूमि में अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद न तो स्वयं दखल अन्दाजी करें एवं न ही अपने नौकरो एजेन्टो आदि से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करावें, न ही बेचान हस्तान्तरण करें अन्यथा प्रार्थीगण के वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेंगा तथा पक्षकारान के बीच मुकदमें बाजी बढेगी।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 11 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 महिपाल सिंह की ओर से जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 04.03.2021 को पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आधारहीन राजस्व वाद पेश किया है, जिसमें प्रार्थी कतई सफलता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने सरहद मौजा गुड़ा श्यामा तह सोजत के ख0नं0 41 रकबा 0.8300 है0, ख0नं0 42 रकबा 0.3600 है0, ख0नं0 48 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 56 रकबा 0.1800 है0, ख0नं0 57 रकबा 0.1700 है0 की कृषि भूमि फाउलाल, नारायण पिसरान भाना व चुना पुत्र किसना के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा होना बताया है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में दर्ज खातेदारों का कितना–कितना हिस्सा है, नहीं बताया है। प्रार्थी ने वक्त सेटलमेंट सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रार्थीगण फाउलाल, नारायण पिसरान भाना तथा चुना पुत्र किसना हाजिर होने के कथन अंकित किये है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 5 को कतई नहीं है। प्रार्थीगण ने ख0नं0 41, 48 व 57 को फाउलाल व नारायण का कब्जा काश्त होने के कथन अंकित किये गये है, जो सरासर गलत हैं। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में सभी दर्ज खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है तथा राजस्व रेकर्ड में भी सामलाती दर्ज सुदा है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि के खातेदार फाउलाल, नारायण पिसरान भानाराम के हिस्से में खसरा नंबर 41, 48 व 57 तथा ख0नं0 42 व 56 चुन्ना पुत्र किसना के बंट में दर्ज करने के कथन किये है, जबकि उक्त कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी

रकबा, का मिलान हिस्से के अनुसार कतई नहीं होता है। किसी भी भूमि का बंटवाड़ा उनके खाते में दर्ज खातेदारान के हिस्से के मालिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के सारे कथन गलत है। प्रार्थीगण ने ख0नं0 41, 48 व 57 को प्रार्थीगण के नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज करने के कथन अंकित किये है। जबकि किसी भी खातेदारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का बंटवाड़ा उनके हिस्से अनुसार किये जाने मात्र खसरे के अनुसार कतई नहीं किये जाते है। खसरों के दर्ज रकबा का मिलान उनके हिस्से से होता है। उक्त कृषि सामलाती कृषि भूमि है तथा प्रत्येक इंच भूमि में सहखातेदार का हक व हिस्सा होता है। पूर्व में दर्ज खातेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण का वाद भी बंटवाड़े का नही है, उक्त कृषि भूमि के अलावा भी कृषि भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 0.8900 है0, खसरा नंबर 142 रकबा 0.6100 है0 एवं खसरा संख्या 161 रकबा 0.7800 है0 कृषि भूमि स्थित है, उक्त कृषि भूमि के खातेदार जीवराज, सोहनराज पिसरान चुनाजी कौम लुहार द्वारा भी अप्रार्थी महिपालसिंह को अपना 2/9 हिस्से की कृषि भूमि का बेचान किया है, जिस पर भी अप्रार्थी संख्या 5 का वक्त खरीद से आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खसरा संख्या 140 रकबा 0.8900 है0, खसरा नंबर 142 रकबा 0.6100 है0 के खातेदार रामचंद्र पुत्र चुन्नाराम द्वारा अपना 1/9 हिस्सा का भी जरिये बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 5 को बेचान किया है, जिस पर भी अप्रार्थी संख्या 5 बतौर खातेदार, काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त तथ्यों को प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर छुपाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 बोनोफाईड केता है तथा वक्त खरीद से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने चुना के देहान्त के बाद ढगली बेवा चुना व अन्य वारिसान के नाम तथा ढगली के देहान्त के बाद उनका हिस्सा उनके वारिसान सुआ पत्नी बस्तीराम, राधेश्याम, कानाराम, दिनेश कुमार पिसरान बस्तीराम, जीवाराम, सोहनलाल, रामचन्द्र, ओमप्रकाश, शिवलाल पिसरान चुनाराम, पिस्ताबाई, कमलाबाई व मूली बाई पुत्रिया चुनाराम के नाम म्यूटेशन संख्या 387 भरा जाकर स्वीकृत करने के कथन किये है, जो एक प्रक्रिया है। प्रार्थीगण का यह लिखना कतई गलत है कि जीवाराम व सोहनलाल ने ख0नं0 41, 48, व 57 पर बिना कब्जा हुए ख0नं0 41, 48, 57, 42 व 56 में अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 को बेचान कर दिया हो, जबकि उक्त कृषि भूमि के खातेदार जीवाराम व सोहनलाल ने अपना अपना 1/2 हिस्से का 2/9 हिस्सा का बेचान अप्रार्थी संख्या 5 को किया गया है तथा रामचन्द्र ने उक्त कृषि भूमि में दर्ज अपना 5/63 वां हिस्सा का बेचान अप्रार्थी संख्या 5 को किया गया है तथा उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी उक्त हिस्से अनुसार अप्रार्थी संख्या 5 को मौके पर सुपुर्द कर दिया गया है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 5 बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 5 बोनाफाईड पर्चेजर है। प्रार्थीगण का यह लिखना कतई गलत है कि उक्त बेचान बेअसर, शून्य एवं अप्रभावी है, चूंकि अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के बेचान दस्तावेज से प्रार्थीगण के किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। प्रार्थीगण ने सेटलमेंट के समय उक्त कृषि भूमि के बेचान दस्तावेज से प्रार्थीगण के किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। प्रार्थीगण ने सेटलमेंट के समय उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होने के कथन अंकित किये है,

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (राज.)

सेटलमेंट हुये 50 वर्ष हो चुके है, लेकिन 50 वर्षो के दौरान प्रार्थीगण ने ऐसा कोई नोटिस या वाद बाबत् बंटवाड़ा होने के संबंध में नहीं किया है। सेटलमेंट के समय से ही खातेदारों के हिस्से अनुसार उक्त कृषि भूमि दर्ज चली आ रही हैं। अप्रार्थी संख्या 5 बोनाफाईड केता है तथा माफिक हिस्सा अनुसार खातेदारान से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसे प्रार्थी कतई परिवर्तित करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने पर्चा खतौनी संख्या 112 वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण व चुना पुत्र किसना द्वारा ख0नं0 41, 48 व 57 प्रार्थीगण के नाम एवं ख0नं0 42 व 56 चुना पुत्र किसना के खातेदारी कब्जा काश्त के होने के कथन अंकित किये है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 5 को कतई नहीं है। प्रार्थी द्वारा बताये गये तथाकथित कथनों के अनुसार खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा उनके हिस्से के माफिक बराबर बराबर रकबे के अनुसार होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इस प्रकार कतई खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। यदि प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाना होता तो प्रार्थीगण अवश्य वाद बाबत् बंटवाड़ा का पेश करते। खसरा संख्या 41, 48 व 57 को खातेदार घोषित प्रार्थीगण को कतई नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने ख0नं0 41, 48 व 57 के कितने कितने रकबे का खातेदार घोषित किया जावें, जानबुझकर अंकित नहीं किया हैं प्रार्थीगण कतई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णिय क्षति नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी कतई अप्रार्थीगण संख्या 5 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार है, उल्लेख नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 बोनाफाईड पर्चेजर है तथा वक्त खरीद से लेकर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करने से कतई रोका नहीं जा सकता है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी संख्या 5 को अपूर्णिय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रतिफल की राशि अदा कर उक्त कृषि भूमि को खरीद किया गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण अप्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि से बेदखल कर अप्रार्थी को नुकसान पहुचाना चाहता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा गुड़ा श्यामा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त सुदा कृषि भूमि ख0नं0 41 रकबा 0.8300 है0, ख0नं0 48 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 57 रकबा 0.1700 है0 किस्म बा.अ., अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तान्तरण, बक्सीस इत्यादि न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवाये जाने हेतु अप्रार्थीगण को वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रतिफल की राशि अदा कर उक्त कृषि भूमि को खरीद किया गया है,

उपखण्ड अधिकारी,
[illegible] (राज.)

इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण अप्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि से बेदखल कर अप्रार्थी को नुकसान पहुचाना चाहता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने से प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का महत्वतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित है। वादस्थ भूमि सामलाती कृषि भूमि है। प्रार्थिया के हक अधिकारो का विनिश्चय मूल वाद मे जवाब दावा पेश होकर तनकियात कायमी पश्चात साक्ष्य सबूतो एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवचेन / विश्लेषण के पश्चात संभव हो सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य मे प्रार्थी चूकि वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। लिहाजा उभयपक्षो को विशिष्ट भू0भाग का बैचान करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा श्यामा तह0 सोजत की कृषि भूमि ख0नं0 41 रकबा 0.8300 है0, ख0नं0 48 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 57 रकबा 0.1700 है0 किस्म बा.अ. भूमि का बैचान रहन करने से उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 02/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)